सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 27 राँची, बुधवार, 30 अग्रहायण, 1938 (श०)
21 दिसम्बर, 2016 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना
21 दिसम्बर, 2016

संख्या- खा.प्र. 04/खाद्या. भण्डा.-25/2007- 5189-- भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आदेश संख्या-का॰आ॰नि॰ 929 (अ॰) नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 2016, आदेश संख्या-का॰आ॰ 3341 (अ॰), दिनांक 27 अक्टूबर, 2016, आदेश संख्या-का॰आ॰ 3348 (अ॰), दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 एवं मिसिल सं॰-S-11/13/2015-ECR&E, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्टि खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में निम्नाकिंत संशोधन किया गया हैः-

1. विनिर्दिष्टि खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदत, वितरण या भण्डारण के बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तुओं अर्थात् खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों एवं दालों के लिए दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 से दिनांक 30 सितम्बर, 2017 की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो तथा चीनी के लिए दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 से

दिनांक 28 अप्रैल, 2017 तक या अगले आदेश इनमें से जो भी पहले होगा, तक प्रास्थगन में रहेगा ।

2. खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों के संबंध में निम्नलिखित मामलों में यह आदेश लागू नहीं होंगेः-

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक रखने वाले कोई निर्यातकर्ता, जो थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी है, यदि यह प्रदर्शित कर देता है कि निर्यात के लिए बनाये गये स्टॉक की सीमा तक खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों के संबंध में उसका सम्पूर्ण स्टॉक या उसका भाग निर्यात के लिए है;

(ख) बहुलय विक्रय केन्द्र वाले फुटकर व्यापारी अथवा बड़े डिपार्टमेंटल खुदरा व्यापारी;

(ग) खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्तिधारक खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा कच्ची सामाग्री के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला आवश्यक स्टॉक;

(घ) कोई आयातकत्र्ता, जो थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी है, यदि यह ये प्रदर्शित कर देता है कि खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों के उसके स्टॉक का भाग आयात से प्राप्त किया गया है;

परन्तु कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार आयातकों को खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों के स्टॉकों की प्राप्ति और उनके द्वारा रखे गये स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दे सकेगी ।

3. चीनी का कोई भी व्यौहारी, किसी भी समय चीनी का कोई स्टॉक, ऐसे स्टॉक के प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखेगा और किसी भी समय, स्टॉक की मात्रा थोक विक्रेताओं के लिए 5000 क्विंटल से अधिक नहीं रखेगा ।

परन्तु इस आदेश की कोई बात, निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गये चीनी के स्टॉक पर लागू नहीं होगीः-

(i) सरकारी खाते में; या

(ii) किसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यौहारियों द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखा गया स्टॉक; या

(iii) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखा गया स्टॉक ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भी इस आदेश को लागू करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

4. उपखण्ड (1, 2 एवं 3) की कोई बात चीनी, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों को राज्य के बाहर के स्थानों पर परिवहन, वितरण करने अथवा निपटान करने का कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

5. इस आदेश के उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा उन्हें तत्कालीन कृषि मंत्रालय, (खाद्य विभाग), भारत सरकार सा॰का॰नि॰ 800(अ), दिनांक 17 जून, 1978 की अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधिन जारी किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के संबंध में भण्डारण, परिवहन, वितरण, निपटान, अर्जन, उपयोग अथवा उपभोग के लिए अनुज्ञप्ति, परमिट या अन्यथा के विनियमन के प्रयोजन के लिए किसी आदेश को जारी करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी ।

परन्तु इस आदेश की किसी भी बात का प्रभाव निम्नलिखित के प्रचालन पर नहीं पड़ेगा-

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 और इसके अनुसरण में राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश,

(ii) राज्य सरकारों को अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गयी शक्तियों के अनुसरण में, धान और चावल के मिलरों अथवा व्यौहारियों से चावल की उपाप्ति करने के प्रयोजनार्थ लिए जाने वाले उदग्रहण के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा जारी किए उदग्रहण आदेश ।

6. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के आलोक में बिहार कंट्रोल आर्डर 1984 (14 नवम्बर 2000 तक यथासंशोधित) में किए गये प्रावधान पुनः लागू होगा, जिसके अनुसार उपर्युक्त खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, दालों एवं चीनी का स्टॉक सीमा निम्न प्रकार होगी ।

क्र॰ सं॰	खाद्यान्न का नाम	थोक (मात्रा क्विंटल में)	खुदरा (मात्रा क्विंटल में)
1	दाल	1000.00	50.00
2	खाद्य तेल	500.00 - बी श्रेणी शहर 300.00 - सी श्रेणी शहर	50.00
3	खाद्य तिलहन	75.00 से 2000.00 - बी श्रेणी शहर 50.00 से 1000.00 - सी श्रेणी शहर	-
4	चीनी	5000.00	50.00

7. उक्त के परिप्रेक्ष्य में खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, दाल, चीनी के व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना स्टॉक कंडिका - 6 में अंकित सीमा के अनुरूप ही रखें अन्यथा स्टॉक सीमा से अधिक पाये जाने पर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

8. यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी यह प्रदर्शित करने में समर्थ है कि उसने दालों, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहन एवं चीनी के संबंध में अपने स्टॉकों का भाग आयात से प्राप्त किया है, तो उन्हें स्टॉक सीमाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 27–200